



ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं – विशेषतः मनरेगा योजना का अध्ययन

डॉ. अतर सिंह¹, कीर्तिश सुप्रियवृत²

1. डॉ. अतर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कीर्तिश सुप्रियवृत, शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

सारांश

आजादी के बाद ग्रामीण विकास का लक्ष्य उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था जिनको पूरा करना राष्ट्र के विकास हेतु अति आवश्यक था। आजादी के बाद अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं की शुरुआत की गई जिसमें लोगों की आधारभूत सुविधाओं से लेकर उनमें कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना था। जिससे कि ग्रामीण परिवेश सशक्त बन सके, वे एक अच्छे परिवेश में रह सकें, अच्छी शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण विकास से जुड़ी अनेक छोटी बड़ी

योजनाओं का अध्ययन किया गया, विशेषतः मनरेगा योजना का विस्तार से अध्ययन करना वर्तमान परिपेक्ष्य में अति आवश्यक भी है अतः ग्रामीण विकास हेतु किये गये प्रयासों का यहां प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना:—

भारतीय ज्वलंत राजनीति में विकास का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, विशेषकर एनडीए सरकार (2014–19) में। इस दौरान विकास किस हद तक हुआ इसके कयास विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न लगाये जा रहे हैं। इसके दो पक्ष उभरे हैं एक तरफ



तो ये कहा जा रहा है कि विकास हुआ है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है। एनडीए सरकार विकास की गति तीव्रता का दोषारोपण पिछली सरकारों पर विशेषकर यूपीए सरकार पर लगा रही है।

देश की आजादी के बाद अनेक योजनाओं का क्रियांवयन किया गया। इन योजनाओं को इस लिए चलाया गया कि जल्दी से जल्दी देश आजादी के बाद विश्व के अन्य विकासशील देशों की श्रेणी में आ सके। इन विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान देश की पंचवर्षीय योजनाओं का रहा है। जबकि वर्तमान में प्रमुख राज्यों में ग्रामीण विकास पर व्यय कम हुआ है।

पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में आजादी के तुरंत बाद पूर्व सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर चलाई गईं। ये योजनाएं पांच साल की प्लानिंग थीं। इसका श्रेय देश (भारत) के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को विशेषकर जाता है और उन्होंने ही देश के

विकास लिए इसकी अत्यावश्यकता महसूस की। इन पंचवर्षीय योजनाओं को 1966 तक बराबर गति मिली लेकिन 1966 में इसकी तारतम्यता टूट गई और तीन एक वर्षीय योजनाओं का संचालन किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1979 तक चलनी थी गैर काँग्रेसी सरकार बनने के कारण एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई और इस जगह इस योजना का कार्यकाल परिवर्तित किया गया। लेकिन आगे 1980 में वापस काँग्रेस सत्ता में आने के कारण इस पंचवर्षीय योजना को नये सीरे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार द्वारा शुरू की गई। इसकी तारतम्यता आगे चलकर 1990 को फिर टूट गई क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना दो वर्ष देर से शुरू हुई। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती रही और ये पंचवर्षीय योजनाएं अंततः 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। लेकिन वर्तमान 2014 में बनी नई सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई और योजना



आयोग के माध्यम से चलाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया इसके स्थान पर नीति आयोग के माध्यम से चिर कालिन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

साहित्य समीक्षा:-

देवपुरा, प्रतापमल (2012) ने अपनी पुस्तक "पंचायती राज के नये आयाम" में लेखक द्वारा पंचायती राज के विभिन्न नवीन आयामों पर विस्तार से चर्चा की गई।

झामड़, लक्ष्मीलाल (2003) शोध अध्ययन "राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता पर निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का प्रभाव— दक्षिणी राजस्थान के सन्दर्भ में" में ग्रामीण

गरीबी निवारण सम्बंधित विभिन्न योजनाओं की जाँच की है।

कश्यप, मंजुला (2014) "ग्रामीण विकास और मनरेगा" लेखक ने मनरेगा के सकारात्मक प्रभावों के अलावा सावधानियां और सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

मेनारिया, सालगराम (2004) ने शोध प्रबंध "ग्रामीण राजस्थान में विकास एवं गतिशीलता के सामाजिक आयाम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में ग्रामीण विकास सम्बंधित शोध कार्य किया है और इस अध्ययन में राजसमन्द जिले की रेलमगरा तहसील के दो गांवों का अध्ययन किया गया है।

आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं और ग्रामीण विकास पर जोर:-

पंचवर्षीय योजनाएं

पंचवर्षीय योजनाएं	अवधि	प्राथमिक क्षेत्र	लक्ष्य
पहली	1951—56	कृषि, बिजली सिंचाई	2.1
दूसरी	1956—61	उद्योग	4.5
तीसरी	1961—66	खाद्य / उद्योग	5.6
चौथी	1969—74	कृषि	5.7



पांचवीं	1974–79	गरीबी उन्मूलन	4.4
छठी	1980–85	कृषि/उद्योग	5.2
सातवीं	1985–90	खाद्य/उर्जा	5.0
आठवीं	1992–97	शिक्षा/मानव स्रोत	5.6
नवीं	1997–02	न्याय	6.5
दसवीं	2002–07	रोजगार/उर्जा	8.1
ग्यारहवीं	2007–12	विकास	8.0
बाहरवीं	2012–17	त्वरित	8.0

(स्रोत:- योजना आयोग)

ग्राम और कृषि शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ग्राम होंगे वहां कृषि कार्य होगा और जहां कृषि कार्य होगा वहां ग्राम होगा। वे पंचवर्षीय योजनाएं जिनमें कृषि विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण पर अत्यधिक जोर दिया गया:-

- **प्रथम पंचवर्षीय योजना:-** प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई संबंधित विकास पर जोर दिया गया जिसका सीधा संबंध ग्रामीण विकास से था साथ ही इस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया जो कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजना थी लेकिन यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका।
- **द्वितीय पंचवर्षीय योजना:-** पी0सी0 महालनोबिस मॉडल पर आधारित यह योजना कृषि और उद्योग

विकास पर आधारित थी। इसमें कृषि पर विशेष ध्यान था क्योंकि कुल खर्च का एक-चौथाई भाग कृषि विकास हेतु खर्च किया जाना था।

- **तीसरी पंचवर्षीय योजना:-** तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया लेकिन यह योजना सफल नहीं बन पायी क्योंकि इस योजना में भारत को चीन के साथ युद्ध में उलझना पड़ा था। इस योजना का उद्देश्य अक्टूबर 1963 तक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों और निर्धनों की स्थिति में सुधार करना था। इस योजना में एक बहुत बड़े समुदाय के विकास कार्यक्रमों हेतु एक बहुत बड़ी राशि खर्च करने का लक्ष्य जो कि पहले निर्धारित किया



गया था वह प्राप्त नहीं किया जा सका और यह योजना पहली असफल पंचवर्षीय योजना निकली।

- **चतुर्थ पंचवर्षीय योजना:**— लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसमें भी ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में बढोत्तरी हेतु एक-चौथाई खर्च का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस योजना के परिणाम भी कुछ ज्यादा सकारात्मक नहीं निकले।
- **पांचवीं पंचवर्षीय योजना:**— पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जो कि तात्कालिन प्रधानमंत्री थी ने गरीबी हटाओं का नारा दिया। इस योजना का संबंध भी हम ग्रामीण विकास से मान सकते हैं। यह योजना अपनी विपरीत परिस्थियों के बादजुद भी एक सफल योजना सिद्ध हुई।
- **छठी पंचवर्षीय योजना:**— एक वर्ष के बाद छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया यह योजना ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी।
- **सातवीं पंचवर्षीय योजना:**— सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई जिसमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी

कार्यक्रम का विलय किया गया। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

- **आठवीं पंचवर्षीय योजना:**— यहां दो वर्षीय योजना अवकाश के बाद 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य था "रोजगार के साथ विकास"। यह एक ऐसी योजना थी जो कि उदारीकरण से संबंधित प्रथम योजना थी। यह योजना भी ग्रामीण विकास में सफल रही।
- **नवीं पंचवर्षीय योजना:**— इस योजना में भी गरीबी पर काबू पाने का प्रयास किया गया विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास पर इसमें जोर दिया गया। यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पायी।
- **दसवीं पंचवर्षीय योजना:**— दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर सुलभ कराने का प्रयास किया गया और लक्ष्य रखा पांच करोड़ अतिरिक्त रोजगार का। इस योजना में ऐसे रोजगार के प्रयास किये गये जो कि गुणवत्तापूर्ण हो।
- **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना:**— इस योजना का लक्ष्य तेजी से विकास का था लेकिन यह योजना पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी।
- **बारहवीं पंचवर्षीय योजना:**— बारहवीं पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम योजना थी



इसमें भी विकास का लक्ष्य रखा गया लेकिन यह लक्ष्य गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हुए विकास प्राप्ति का था।

मुख्य ग्रामीण विकास योजनाएं:-

- **स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना:-** इस योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्र को विकास की डगर पर ले आना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारम्भ पूर्ववर्ती योजनाओं जैसे दस लाख कुआं खुदाई योजना, टी0आर0वाई0एस0ई0एम0 आदि अनेक योजनाओं को मिलकर किया गया।
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-** यह योजना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई। इस योजना में अनेक छोटी-छोटी योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ दूर-दराज के गांवों में भी पहुंचा है क्योंकि विभिन्न माध्यमों (भामाशाह) से इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:-** यह योजना स्वरोजगार के पुनर्गठन के माध्यम से शुरू की गई। इसका लक्ष्य ग्रामों में रोजगार की उपलब्धता करवाने के साथ ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इसमें ग्रामीण परिवारों की स्थिति के अनुसार सहयोग करना था।
- **ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम:-** इस योजना की शुरुआत काम के बदले अनाज योजना का पुनर्गठन करके की गई। इसमें मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए विकास की डगर पर चलना था।
- **अंतोदया अन्न योजना:-** इस योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना था जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम गेहू जो कि निम्नतम मूल्य पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया। गेहू के साथ चावल को इस योजना में शामिल किया गया था। यह भूखमरी और कुपोषण के विरुद्ध एक क्रांतिकारी प्रयास है।
- **प्रधानमंत्री जनधन योजना:-** इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों और बैंकों के बीच व्याप्त दूरी को पाटना था। इस योजना के माध्यम से लोगों में धन संग्रह की प्रवृत्ति और धन को बाजार में लगातार उपलब्ध करवाने का प्रयास था। साथ ही धन संग्रहण करने की प्रवृत्ति से भविष्य में जरूरी कार्य में पैसे को लगाया जा सकता है।



- **प्रधानमंत्री रोजगार योजना:**— यह योजना उन ग्रामीणों के लिए थी जो कुछ स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके माध्यम से एक निश्चित स्तर (समय-समय पर बदलाव) तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उद्योग आदि हेतु सरकार ऋण साथ ही इसमें एक निश्चित अनुपात में सब्सिडी के रूप में सहायता ले सकता है।
- **सांसद ग्राम आदर्श योजना:**— सांसद आदर्श योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए की गई। इस योजना की शुरुआत सन् 2014 में की गई और इसके पीछे मूल भावना ग्रामों के विकास की है। इस योजना के माध्यम से सांसद (राज्य सभा-लोक सभा) ग्रामों को गोद लेकर उनके विकास में तीव्रता लायेगा और 2019 तक इस हेतु 3-3 ग्रामों को प्रति सांसद लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें केवल 2019 तक का लक्ष्य ही नहीं रखा गया है इसको आगे बढ़ाते हुए 2024 तक पांच अन्य ग्रामों का प्रत्येक सांसद के माध्यम से विकास किया जायेगा।
- **संसदीय क्षेत्र का विकास:**— सांसद द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया जायेगा और यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। जिसमें सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। 1992-93 में शुरू की गई योजना का लक्ष्य सांसद के संसदीय क्षेत्र विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास जैसे ग्रामीण क्षेत्र आदि के विकास से है।
- **इंदिरा आवास योजना:**— यह योजना कुछ क्षेत्रों को अपवाद स्वरूप छोड़कर पूरे भारत में चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को आवास उपलब्ध करवाना है। क्योंकि रोटी और कपड़े के बाद आधारभूत सुविधाओं में मकान की आवश्यकता सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इस योजना से अनेक ग्रामीण परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया हो पाई है। समय-समय पर इसका नाम भी परिवर्तित किया जाता रहा है। यह योजना सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है, अगर इसमें व्याप्त कुछ स्तर के भ्रष्टाचार में सुधार किया जाये।
- **ए0पी0वाई योजना:**— अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए लाभप्रद हो रही है जो कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगे हुए हैं। इस योजना के माध्यम से लोगो द्वारा संग्रहित राशि का उपयोग उनके वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में किया जायेगा। यह योजना उपर



उल्लेखित प्रधानमंत्री जनधन योजना का ही एक भाग है।

- **मरू विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित कार्यक्रम:**— राजस्थान में इसकी शुरुआत काफी देर से 1995 में हुई। इसका संबंध कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास से था।
- **जीवन धारा योजना:**— यह जवाहर रोजगार योजना से संबंधित है। इसके माध्यम से गरीब किसानों के उत्पादन में वृद्धि करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:**— 2015 में शुरू की गई योजना में बेहतर रोजगार देने हेतु लघु कालीन प्रशिक्षण देकर उसके पूर्व अध्ययन को मान्यता इसके माध्यम से दी जाती है। दिसम्बर 2017 तक इसके द्वारा 40 लाख से भी अधिक लोगों को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- **एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम:**— केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के माध्यम से बंजरभूमि को उपयोगी भूमि में बदलकर ग्रामीण जीवन स्तर की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना:**— प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं की

व्यवस्था करते हुए ग्रामों का तीव्रगति से उतरोत्तर विकास करना रहा है।

- **समंजित ग्रामीण विकास कार्यक्रम:**— इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए उनके जीवन स्तर को उच्चा उठाना और उनका जीवन सरस बनाना है।
- **भारत निर्माण कार्यक्रम:**— इस योजना में सड़क-पानी जैसी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध करवाना और ग्रामीण जीवन स्तर में बढोत्तरी करने से है।
- **उज्ज्वला योजना:**— इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों हेतु गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव और ग्रामीण लोगों को ज्यादा लाभ मिलना स्वाभाविक है।
- **बीस सूत्री कार्यक्रम:**— यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण गरीब श्रमिकों के हित में चलाया गया कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करते हुए ग्रामीण गरीब परिवारों के उत्पादन हेतु लोकहित के कार्यक्रमों का संचालन करना है। इसमें रोजगार की उपलब्धता, स्वच्छ जल, कृषि हेतु सुविधाएं जैसे सिंचाई आदि की व्यवस्था करना है।



- **मनरेगा:**— मनरेगा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि अब तक की जारी सभी योजनाओं में सबसे व्यापक है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में यू0पी0ए0 सरकार द्वारा की गई। मनरेगा के प्रत्येक परिवार को रोजगार का अधिकार दिया गया है। अगर यह रोजगार मांगे जाने पर सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो व्यक्ति या परिवार घर बैठे मुआवजे का हकदार होगा। इस प्रकार से यह कार्यक्रम कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे भारत में पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय से भी जारी है। इस कार्यक्रम का प्रभाव इतना है कि यू0पी0ए0 सरकार के बाद बनी नई सरकार एन0डी0ए0 ने भी इसे आगे जारी रखा ही नहीं इसके बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।
- **अन्य योजनाएं:**— इन योजनाओं में वर्तमान एन0डी0ए0 सरकार द्वारा जारी की गई अपने शुरुआती समय की योजनाओं का भी अध्ययन किया गया है जो कि नये सीरे से शुरू की गई योजनाओं के अलावा वे योजनाएं भी हैं जिनका नाम बदल कर कुछ सुधार के साथ शुरू की गई। कुछ ऐसी भी योजनाओं का यहां वर्णन किया गया है जिनका सम्बंध केवल ग्रामीण विकास से नहीं है लेकिन इसमें गांवों की भागीदारी अधिक

रही है। वर्तमान एन0डी0ए0 सरकार द्वारा वर्तमान में अनेक ग्रामीण हित की योजनाओं को शुरू किया गया है जो कि अभी अपनी शैशवावस्था में है।

उपर्युक्त सभी योजनाओं में प्रस्तुत शोध पत्र में विशेषतः मनरेगा योजना का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है :-

सन् 2006 को बनाई गई मनरेगा योजना सब योजनाओं से अलग है। यह आजाद भारत में लागू होने वाली सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली और सार्वभौमिक योजना है। यह महिलाओं की मै त्री योजना सिद्ध हो रही है। इसका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है— सन् 2004 के आम चुनावों में कांग्रेस और वाम दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बनी सहमति के परिणाम स्वरूप भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के नाम से एक विधेयक लाया गया। अगस्त 2005 में यह पारित हुआ।

शुरुआत में इसे फरवरी 2006 को भारत के अत्यन्त पिछड़े 200 जिलों में (प्रत्येक राज्य में कम से कम एक) लागू किया गया। अप्रैल 2007 को इसे 130 जिलों में और लागू किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में लागू कर दिया गया। 02 अक्टूबर 2009 को इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कर दिया गया। सन् 2006 को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी



योजना 2006 बनाई गई। जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—

1. यह माँग आधारित, स्वचयनित, बॉटम अप व जन केंद्रित योजना है।
2. यह रोजगार की कानूनी गारंटी का अधिकार देता है।
3. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है। एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. माँग करने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा अगर 15 दिनों में रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा।
5. प्रत्येक नियोजन की दशा में मात्र लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और समान परिश्रमिक अधि 1976 के उपबन्धों का पालन किया जाएगा।
6. रोजगार उपलब्ध कराते समय महिलाओं को इस तरह प्राथिकता दी जाएगी ताकि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों (मनरेगा अनसूची पैरा-6)
7. निवास स्थान के निकट के कार्यस्थलों पर कार्य देने में महिलाओं विशेषकर एकल महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. कार्य स्थल पर चिकित्सा सहायता, पेयजल, शोड जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।
9. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक है तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को मेड के रूप में नियुक्त कर उसे अन्य कामगारों के बराबर मजदूरी भुगतान की जाएगी।
10. कामगारों की हाजिरी लेने व कार्यस्थल प्रबंधन के लिए की जाने वाली मे टकी नियुक्ति में महिला कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के माध्यम से ही किया जाएगा।
12. जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे ताकि सभी कामगार महिलाओं सहित बैंक प्रक्रिया करना सीख जाए।
13. ग्राम पंचायत को विधवा महिलाओं, परित्यक्ता व गरीब महिलाओं जो कि संवेदनशील होती हैं की पहचान कर उन्हें 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।
14. गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं के लिए ऐसे कार्यों को उपलब्ध करवाना चाहिए जिनमें प्रयास कम करने पड़ते हैं।



अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है की मनरेगा अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं जिससे उन्हें माँगने पर काम मिल जाता है और उनके सबलीकरण को बल मिल रहा है जैसे—

1. मनरेगा ने महिलाओं को आय अर्जन के व्यापक अवसर प्रदान किए हैं। अतः आय बढ़ने से महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
2. आय बढ़ने से महिलाओं की क्रयशक्ति बढ़ी है। जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है।
3. मनरेगा योजना में उन्हें पुरुषों के बराबर न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान किया जाता है। जिससे लिंग आधारित भेदभाव में कमी आ रही है।
4. मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के बाद बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने लगी हैं। वे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं, और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।
5. मनरेगा योजना के बाद महिलाओं के बहुत व्यापक स्तर पर, कार्यस्थलों पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने, समान मजदूरी प्राप्त करने, ग्राम सभाओं की बैठकों में हिस्सा लेने आदि से उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आ रहा है।

मनरेगा योजना में काम माँगने से लेकर जॉब कार्ड बनवाने, उपस्थिति दर्ज करवाने, अपने टॉस्क की पैमाइश करवाने, बैंक में खाता खुलवाने तथा मजदूरी प्राप्त करने तक की एक लम्बी और सजग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिससे महिलाओं में जागरूकता आ रही है। अतः मनरेगा योजना में महिलाओं के लिए किए गए विशेष प्रावधानों व अकुशल ग्रामीण महिला कामगारों को काम की गारन्टी का अधिकार मिलने से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक स्तर में क्या बदलाव आ रहे हैं? क्या वे सशक्त हो रही हैं? प्रस्तावित शोध कार्य में इसे ही समझने का प्रयास किया जाएगा।

उपरोक्त ग्रामीण कार्यक्रमों के अलावा भी अनेक छोटे-बड़े कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु आजादी के बाद से अनेक सरकारों द्वारा चालू किया गये। इन योजनाओं में कुछ योजनायें तो अधर में ही अटक गयीं लेकिन अनेक ग्रामीण विकास संबंधित कार्यक्रम सफल भी रहे हैं, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान सरकार और आगे आने वाली सरकारों से ये उम्मीद की जा सकती है कि समय-समय पर ये अनेक योजनाओं को इसी प्रकार जारी रखेंगे जिससे भारतीय कृषि प्रधान ग्रामीण परिवेश वाले राष्ट्र की उन्नति सम्भव हो सके। लेकिन ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल इनकी घोषणाएं और इनके एक बार चालू करना ही काफी



नहीं है। इस हेतु इसका सफल संचालन करना भी अति आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

- शेरगील, बलदेव सिंह (जून-2019). रूरल इकॉनोमिक, स्टेट और पब्लिक पॉलिसी : इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्युम 54. इस्सु 26-27
- चंद्र, प्रकाश (2017). ग्रामीण विकास एवं सशक्तिकरण में मनेगा की भूमिका : हनुमानगढ़ जिले का एक अनुभवात्मक अध्ययन. उदयपुर : एम.एल.एस.यू. पृष्ठ सं. 81.
- कुमार, अनिल (2012). भारत में विकास और चुनौतियां. महेंद्र बुक कम्पनी : गुडगाँव. पृष्ठ सं. 160.
- माखिजा, ए.एन (2013). ग्रामीण उद्यमिता विकास-अवसर एवं चुनौतियां, दिल्ली. अध्ययन पब्लिशर्स, पृष्ठ सं, 94.
- सृजा, ए (2018). ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार : कुरुक्षेत्र, जून. पेज न. 29.
- आहुजा, राजीव (2018). सरकार का प्रयास : विकास बने जन आंदोलन : योजना, जून. पेज न. 14.
- राजपूत उदयसिंह, "आदिवासियों का सहारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" योजना अगस्त 2008, वर्ष 53, अंक 08, पृ.क्र. 29।
- खेड़ा रीतिका, "अभिलेखों की कालकोठरी" योजना अगस्त 2008, वर्ष 53, अंक 08 पृ.क्र. 31-35।
- सिंह प्रसाद रघुवंश, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के दो साल" योजना अगस्त 2008 वर्ष 53 अंक 08, पृ.क्र. 07-10।
- माथुर ललित, "नरेगा के वायदे पर अमल" योजना अगस्त 2008, वर्ष 53 अंक 08, पृ.क्र. 11-14।
- सिद्धार्थ, खेड़ा रीतिका, द्रेज ज्या, "नरेगा में भ्रष्टाचार : मिथक और वास्तविकता" योजना अगस्त 2008, वर्ष 53 अंक 08, पृ.क्र. 15-16।
- अरोड़ा प्रकाश वेद, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" कुरुक्षेत्र मई 2006, वर्ष 52 अंक 07, पृ.क्र. 32-35।
- लवानिया वासुदेव, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" कुरुक्षेत्र मई 2006, वर्ष 52 अंक 07, पृ.क्र. 36-37।
- देवपुरा प्रतापमल, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामाजिक अंकक्षण" कुरुक्षेत्र मई 2007, वर्ष 54 अंक 02, पृ.क्र. 37-39।
- नारायण सुनीता, " गारंटी योजना कानून एवं पर्यावरण सुरक्षा" योजना अगस्त 2008, वर्ष 53 अंक 08, पृ.क्र. 17-47।



- डॉ.सी.पी. जोशी, "नरेगा सफलता से आगे देखने की जरूरत" अक्टूबर 2009, वर्ष 55 अंक 12, पृ.क्र. 33-35।
- घोष गोपीनाथ, "जरूरी है जनात की नजर और ग्रामसभा की पकड़" योजना अगस्त 2008, वर्ष 53 अंक 08, पृ.क्र. 18-20।
- सिन्हा कुमार विकास, "गरीबी व बेरोजगारी के कारण होता है पलायन" कुरुक्षेत्र फरवरी 2012, वर्ष 58 अंक 04, पृ.क्र. 4-7।
- चौधरी सिंह पदम, "कैसे रोके गांवों से पलायन" कुरुक्षेत्र फरवरी 2012, वर्ष 58 अंक 04, पृ.क्र. 8-13।
- नेताम कुमार नयन, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक अभिनव प्रयास" ग्राम पंचायत-टोर के विशेष संदर्भ में, 2007-08 लघु शोध-प्रबंध, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)।
- जूदेव कुमार पवन, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" ग्राम पंचायत दतरेंगी के विशेष संदर्भ में 2007-08 लघु शोध-प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)।
- लूकस सोनिया, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम" राजनांदगांव, जिला-राजनांद गांव विकास खण्ड का एक अध्ययन, 2007-08 लघु शोध-प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)।
- जॉनसन डी, "हाउ डू कास्ट, जेंडर एवं पार्टी एफिलिएशन ऑफ लोकली इलेमेटेड लीडर्स अफेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन.आर.ई.जी.ए.? वर्किंग पेपर 33, चेन्नई : इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइनेशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च (आई.एफ. एम.सी.) 2009।
- दातार छाया, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की असफलता-महाराष्ट्र" इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 25 अगस्त 2007, पी.पी. 3454-3457।
- बेदी, अर्जुन एस. एवं सुभाशीष डे, "द नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम इन बीरभमू " इकोनामिक एवं पॉलिटिकल वीकली, खंड 65, संख्या 41, 9 अक्टूबर 2010।
- शर्मा अर्चना डॉ. जैन अलका प्रो. "गांवों में रोजगार का सुलभ साधन मनरेगा" कुरुक्षेत्र फरवरी 2013, वर्ष 59 अंक 04, पृ. 12-16।
- एम. शाह "मल्टीप्लायर एम्सीलरेटर सिनर्जी इन एन आर ई जी ए" द हिन्दू, 30 अप्रैल 2009।
- धीरजा, सी. और एच.राव " चेजिंग जेडर रिलेंशस : ए स्टडी ऑफ एमजीएनआरईजीएस अक्रास डिफ्रेट स्टेट्स", हैदराबाद : नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 2010।



-
- गहलोत, एस.वी. (1974) : “राजस्थान में सामाजिक जीवन का चित्रण” सी.वी.एच., जयपुर।
 - किशोर, चन्द (1990) : ग्रामीण राजस्थान में सामाजिक—आर्थिक परिवर्तन के भौगोलिक आधार, प्रकाशित पीएच.डी. थीसिस राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - जाट, बी.सी. (2003) : भूगोल और आप (द्विमासिक पत्रिका, 2010) आईरिश पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
 - योजना (मासिक पत्रिका, अगस्त 2008) प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।
 - कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका, दिसम्बर 2009) प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।
 - सिंह, रोहित कुमार (2010) : संदर्भित राजस्थान सुजस, डोमिनियन लॉ डिपो, जयपुर।
 - मीना, बाबूलाल (थीसिस 2010) “बानसूर में कृषि का आधुनिकरण” प्रकाशित पीएच. डी थीसिस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - आर्थिक समीक्षा (2011–12) : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
 - शर्मा, शिमला, (2011) नरेगा ईईआरसी, दिल्ली पब्लिकेशन, दिल्ली।
 - किरन, अश्विन, नरेगा (2011) सुभयाग पब्लिकेशन, जयपुर।
 - सक्सेना, हरिमोहन (2011) : राजस्थान सामान्य अध्ययन अंक—3, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।